न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 119/2021
GCMS NO. : 2021/303

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

वादी:

1. कालूराम पुत्र पाबूराम जाति कुमावत निवासी– खिनावड़ी तहसील जैतारण जिला पाली राज0

प्रतिवादीगण:

1. माणकचंद पुत्र पाबूराम
2. मदनलाल पुत्र पाबूराम
3. सोहनलाल पुत्र पाबूराम
4. शंकरलाल पुत्र पाबूराम
5. तिजाई पुत्री पाबूराम
6. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1955.

तारीख रजू:.07/09/2021

उपस्थितः– 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री अरूणसिंह राठौड़, अधिवक्ता प्रतिवादी।
3. तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार राज0।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 20/06/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी की भूमि राजस्व .मौजा खिनावड़ी पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली में स्थित है जिसका निम्नानुसार है– खसरा संख्या 5 रकबा 0.2266 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 88 रकबा 1.5297 हेक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 90 रकबा 0.9712 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 92 रकबा 1.6430 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 92/1 रकबा 0.0890 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 94 रकबा 0.3561 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 94/1 रकबा 0.0405 रकबा गै.मु.रास्ता, खसरा संख्या 97 रकबा 0.0647 हैक्टर किस्म गै.मु.खड्डा, खसरा संख्या 98 रकबा 10.4490 हैक्टर किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 98/227 रकबा 0.0324 किस्म गै.मु. खड्डा, खसरा संख्या 98/228 रकबा 0.0486 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 85 रकबा 2.3876 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 86 रकबा [illegible] हैक्टर किस्म चाही दोयम, उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि की चालू जमाबंदी इस वाद के साथ पेश है। इस भूमि को इस वादपत्र में आगे सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त भूमि के नाम से जाना जायेगा। उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि वादी की पुश्तैनी कब्जाशुदा हक शुरू से पूर्व में उक्त भूमि वादी के पिताजी पाबू पुत्र छोगा की खोतदारी एवं कब्जे काश्त की थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:42:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

का देहान्त होने पर जरिए नामान्तरण संख्या 271 के उक्त भूमि वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। उस दौरान तत्कालीन हल्का पटवारी ने वादी का सही नाम कालूराम पुत्र पाबूराम की बजाय राजस्व रेकर्ड में नारायण पुत्र पाबू दर्ज कर दिया। तत्पश्चात इसी माफिक चौसाला जमाबंदी में अंकन कर दिया। नकल नामान्तरण संख्या 271 की प्रति इस वादपत्र के साथ पेश है। विवादित भूमि वादी कालूराम पुत्र पाबूराम की खातेदारी व कब्जेकाश्त की है परन्तु इस भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम नारायण पुत्र पाबु दर्ज है। लेकिन वादी के पहचान से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेजात् राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, चुनाव परिचय पत्र, विद्युत बिल, बैंक पास बुक सभी में वादी का नाम कालुराम पुत्र पाबूराम दर्ज है। जबकि विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में नारायण पुत्र पाबू के नाम का अंकन होने से वादी को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। वादी बैंक से अपना साख पत्र नही बनवा पा रहा है न ही अन्य आवश्यक मिलने वाली सुविधाएं ले पा रहा है। जिससे वादी को भारी नुकसान हो रहा है। वादी ने इस प्रकार की गलत प्रविष्टी को दुरुस्त करने हेतू प्रतिवादी संख्या 06 तहसीलदार जैतारण व उनके अधीनस्थ हल्का पटवारी को निवेदन किया लेकिन उन्होने दिनांक 26.08.2021 को इस प्रकार की दुरुस्ती करने से इंकार करते हुए न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी है। इस प्रकार से वदी की इस विवादित खसरान् नम्बरान की भूमि में वादी के सही नाम कालूराम पुत्र पाबुराम के नाम का अंकन पूर्व में दर्ज गलत नाम नारायण पुत्र पाबु के स्थान पर वादी दर्ज करवाने तथा ऐसी घोषणा करवाने एवं रेकर्ड दुरुस्ती करवाने का वादी अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत् घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती का बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी के सादर प्रस्तुत है। वादी ने अपने नाम की दुरुस्ती करवाने हेतू प्रतिवादी व हल्का पटवारी से पूर्व में भी निवेदन किया था। तब उन्होने दिनांक 26.08.2021 को ऐसी दुरुस्ती करने से इंकार कर दिया है। जिस पर यह वादपत्र पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि है। जिसके विरुद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व दो माह का वैधानिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है। लेकिन यह वाद आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देना डिस्पेन्सविद कर यह वादपत्र अदालत श्रीमान कि अनुमति से पेश है। इस बाबत् धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। बिनाय वाद दिनांक 26.08.2021 को प्रतिवादी द्वारा वादी के नाम से दुरुस्ती करने से इंकार करने पर बमुकाम खिनावड़ी तहसील जैतारण में पैदा हुआ। जो अन्दर म्याद व अदालत श्रीमान के श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार में वादपत्र प्रस्तुत है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से वकालतनामा एवं ईकबालिया जवाबदावा पेश हुआ, जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने ईकबालिया जवाबदावा में वादपत्र में उल्लेखित कथनो व तथ्यो का समर्थन किया तथा कथन किया कि प्रस्तुत वादपत्र को माफिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

सतोष के डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति ही है। प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत प्रकारण में जवाबदावा स्तुत करते हुये यह कथन किया है राजस्व मौजा खिनावड़ी तहसील जैतारण जिला ाली राज0 के खसरा नम्बर 5, 88, 90, 92, 92/1, 94, 94/1, 97, 98, 98/227, 98/228, 85, 86 में नारायण पुत्र पाबू सहखातेदार के रूप में दर्ज है। वादी के पिता पाबू पुत्र छोगा की मृत्यु होने से जरिए नामान्तरण संख्या 271 से पाबू पुत्र छोगा के स्थान पर वादीगण का नाम नारायण पुत्र पाबू राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था। राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम नारायण पुत्र छोगा दर्ज है किन्तु सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड, चुनाव परिचय पत्र, सभी में वादी का नाम कालुराम पुत्र पाबुराम दर्ज है। वादी का नाम गलत इन्द्राज जरिए नामान्तरण होने से माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार में है।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की ग्राम खिनावड़ी तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 5, 88, 90, 92, 92/1, 94, 94/1, 97, 98, 98/227, 98/228, 85, 86 में वादी सहखातेदार दर्ज है। वादी के पिता पाबू पुत्र छोगा के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरण संख्या 271 द्वारा वादी के सही नाम कालुराम पुत्र पाबूराम के स्थान पर वादी का गलत नाम नारायण पुत्र पाबू दर्ज कर दिया गया। जबकि वादी का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम कालूराम पुत्र पाबूराम है। अतः राजस्व रेकर्ड में दर्ज रोंग एन्ट्री/ मानवीय भूल को दुरूस्त कर वादी का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम कालूराम पुत्र पाबूराम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रतिवादीगण द्वारा इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत करते हुये वादपत्र में वर्णित कथनों का समर्थन किया, तहसीलदार जैतारण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खिनावड़ी की वादग्रस्त आराजी में वादी नारायण पुत्र पाबू के नाम से सहखातेदार दर्ज है। वादी के पिता पाबु पुत्र छोगा की मृत्यु होने से नामान्तरण संख्या 271 से पाबू पुत्र छोगा के स्थान पर वादी का नाम नारायण पुत्र पाबू दर्ज हुआ, राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम नारायण पुत्र पाबू दर्ज है किन्तु सरकारी दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में कालूराम पुत्र पाबूराम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested

3. साक्ष्य वादी में वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र PW-1 में वादी द्वारा वादपत्र में अंकित कथनों का समर्थन किया है तथा दस्तावेजात् प्रदर्श करवाये वहीं साक्ष्य

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

गी के रूप में बतौर स्वतंत्र गवाह अमराराम पुत्र गीगा जी कुमावत उम्र 60 वर्ष निवासी निमाज द्वारा साक्ष्य शपथ PW-2 में वादपत्र में अंकित कथनों का समर्थन करते हुये वादी का सही एवं वास्तविक नाम कालूराम पुत्र पाबूराम होना स्वीकार किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य वादग्रस्त आराजी की जमाबन्दी सम्वत् 2077 प्रदर्श-1, प्रदर्श-2, प्रदर्श-3 में नारायण पुत्र पाबू सहखातेदार के रूप में दर्ज है। जिसमें वादी के भाई मदन, शंकरलाल, माणक, सोहन, आदि भी सहखातेदार दर्ज है। प्रदर्श-4 ग्राम खिनावड़ी की नामान्तरण पंजीका के अनुसार नामान्तरण संख्या 271 द्वारा मृतक खातेदार पाबू पुत्र छोगा के स्थान नारायण, माणक, मदीया, सोहन, नैना, पिसरान पाबू तथा गलकाई बेवा पाबू का नाम दर्ज किया गया। प्रदर्श-5 कालूराम के नाम जारी एल0आई0सी0 पॉलिसी, प्रदर्श-7ए बिदकी देवी पत्नीं कालूराम निवासी खिनावड़ी का भामाशाह ई कार्ड, प्रदर्श-8ए ग्राम खिनावड़ी का कालूराम पुत्र पाबूराम के नाम जारी परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श-9ए खिनावड़ी निवासी कालूराम पुत्र पाबूराम का निर्वाचन पहचान पत्र, प्रदर्श-10ए खिनावड़ी निवासी कालूराम पुत्र पाबूराम का आधार कार्ड, आदि में वादी का नाम कालूराम पुत्र पाबूराम निवासी खिनावड़ी दर्ज है

अतः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार पाबू पुत्र छोगा की मृत्यु उपरान्त ग्राम पंचायत फूलमाल द्वारा स्वीकृत फौतेदगी नामान्तरण के दौरान वारीसान के नाम की समुचित जांच नही की गई तथा बिना किसी दस्तावेज के आधार पर फौतेदगी नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया। जबकि मृतक पाबू पुत्र छोगा के पुत्र के रूप में दर्ज नारायण का दस्तावेजी एवं वास्तविक नाम कालूराम है, अतः भू अभिलेख में दर्ज नारायण नाम की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध होने से इसे विलोपित कर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम कालूराम पुत्र पाबूराम दर्ज करते हुए अन्य प्रविष्ठियां यथावत् रखते हुए वादी को वादग्रस्त आराजी का अपने हिस्से तक खातेदार अभिधारी घोषित कर वाद को डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद-वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा खिनावड़ी पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा संख्या 5 रकबा 0.2266 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 88 रकबा 1.52[illegible] हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 90 रकबा 0.9712 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 92 रकबा 1.6430 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 92/1 रकबा 0.0890 हैक्टर किस्म गै.मु.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

...ना, खसरा संख्या 94 रकबा 0.3561 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या ...4/1 रकबा 0.0405 रकबा गै.मु.रास्ता, खसरा संख्या 97 रकबा 0.0647 ...क्टर किस्म गै.मु.खड्डा, खसरा संख्या 98 रकबा 10.4490 हैक्टर किस्म चाही ...यम, खसरा संख्या 98/227 रकबा 0.0324 किस्म गै.मु. खड्डा, खसरा संख्या ...8/228 रकबा 0.0486 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 85 रकबा 2. ...876 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 86 रकबा 4.4434 हैक्टर किस्म ...ाही दोयम, में बतौर खातेदार दर्ज वादी के त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***''नारायण पुत्र पाबू''*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***''कालूराम पुत्र पाबू''*** दर्ज करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी का अपने हिस्से तक खातेदार घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक **20/06/2022** को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण
इजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

कालूराम पुत्र पाबूराम जाति कुमावत निवासी– खिनावड़ी तहसील जैतारण जिला पाली राज0

1. माणकचंद पुत्र पाबूराम
2. मदनलाल पुत्र पाबूराम
3. सोहनलाल पुत्र पाबूराम
4. शंकरलाल पुत्र पाबूराम
5. तिजाई पुत्री पाबूराम
6. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 **मु0न0 :रा0वा0स0:– 119/2021**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .....–..... व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री अरूण सिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा खिनावड़ी पटवार हल्का फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली के खसरा संख्या 5 रकबा 0.2266 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 88 रकबा 1.5297 हेक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 90 रकबा 0.9712 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 92 रकबा 1.6430 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 92/1 रकबा 0.0890 हैक्टर किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा संख्या 94 रकबा 0.3561 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 94/1 रकबा 0.0405 रकबा गै.मु.रास्ता, खसरा संख्या 97 रकबा 0.0647 हैक्टर किस्म गै.मु. खड्डा, खसरा संख्या 98 रकबा 10.4490 हैक्टर किस्म चाही चारम, खसरा संख्या 98/227 रकबा 0.0324 किस्म गै.मु. खड्डा, खसरा संख्या 98/228 रकबा 0.0486 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 85 रकबा 2.3876 हैक्टर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 86 रकबा 4.4434 हैक्टर किस्म चाही दोयम, में बतौर खातेदार दर्ज वादी के त्रुटिपूर्ण एवं [illegible] नाम की प्रविष्टि ***"नारायण पुत्र पाबू"*** को विलोपित करते हुये [illegible] का सही एवं वास्तविक नाम ***"कालूराम पुत्र पाबू"*** दर्ज करते हुये वादी को वादग्रस्त आराजी का अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

...से तक खातेदार घोषित किया जाता है. तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। ...त्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20/06/2022 को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला-पाली

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02 – 00	स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00
स्टाम्प वकालतनामा	01 – 00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	02 – 00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	/	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	05 – 00	मिजानः–	01 – 00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:22:25 IST
Reason: SelfAttested